न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
62/2025 प्रा.पत्र/2025 जीसीएमएस नं0 154/2025	26.06.2025	06.11.2025

डॉ0 मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण , टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री शिवराज चौयल पुत्र श्री कालूराम चौयल विक्रेता/नौकर मैसर्स श्री कृष्णा मावा पनीर उद्योग कल्याणजी के मन्दिर के पीछे खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज0। निवासी कठसुरा तह0 किशनगढ जिला अजमेर राज0। मोबाईल नं0 7357042001

2–श्री सोनू कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार प्रोपरायटर मैसर्स श्री कृष्णा मावा पनीर उद्योग कल्याण जी के मन्दिर के पीछे खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड–304504।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री शिवराज चोयल स्वयं उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 06/11/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.04.2025 को समय दोपहर 12:09 पी.एम. पर मैसर्स श्री कृष्णा मावा पनीर उद्योग कल्याणजी के मन्दिर के पीछे खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री शिवराज चोयल पुत्र श्री कालूराम चोयल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्री कृष्णा मावा पनीर उद्योग कल्याणजी के मन्दिर के पीछे खुरथल रोड डिग्गी तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री शिवराज चोयल पुत्र श्री कालूराम चोयल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शिवराज चोयल पुत्र श्री कालूराम चोयल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का नौकर होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाकर श्री सोनू कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार को उक्त फर्म का प्रोपरायटर/मालिक होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री शिवराज चौयल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान/बीएमसी का निरीक्षण करने पर दूध मानक स्तर का न होने पर **मिक्सड मिल्क (Mixed Milk)** आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री शिवराज चोयल पुत्र श्री कालूराम चोयल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री शिवराज चोयल पुत्र श्री कालूराम चोयल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **मिक्सड मिल्क (Mixed Milk)** 1500 लीटर **मिक्सड मिल्क (Mixed Milk)** में से 2 लीटर वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कुल मात्रा 2 लीटर **मिक्सड मिल्क (Mixed Milk)** को चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक में 500–500 एम.एल. भरकर, प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह नियमानुसार एयरटाईट बन्द किया, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–4343 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4343 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/639 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/1816/एक्ट/2025/ /1796 दिनांक 06.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **मिक्सड मिल्क (Mixed Milk)** एफ.एफ.एस.ए. का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री शिवराज चौयल स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्सड मिल्क(Mixed Milk)** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्सड मिल्क (Mixed Milk)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता हैं कि जब्त किए गए खाद्य पदार्थ के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/11/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * टोंक *

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0